संख्या – 4452/1–10–2009–12(34)/2003

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2009

विषयः वर्ष 2009–10 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु. 50,000/– प्रति तहसील की दर से कुल धनराशि **रू0 1,56,00,000/– (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)** संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(अ) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(ब) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी के क्रम की रसीद कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3– आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

C:\Documents and Settings\UNDP\My Documents\Allotment 2009-10.doc

4– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2009–10 में सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नही किया जायेगा।

5– आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2010 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7– दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

8– व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरतांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या – 4452(1)/1–10–2009–12(34)/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. समस्त कोषाधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एन0 शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या – 4452/1–10–2009–12(34)/2003
दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
1 सहारनपुर	1 सहारनपुर	5	250000
	2 मुजफ्फरनगर	6	300000
2 मेरठ	3 मेरठ	3	150000
	4 गाजियाबाद	4	200000
	5 बुलन्दशहर	7	350000
	6 गौतमबुद्ध नगर	3	150000
	7 बागपत	3	150000
3 आगरा	8 आगरा	6	300000
	9 मथुरा	4	200000
	10 फिरोजाबाद	4	200000
	11 मैनपुरी	3	150000
4 अलीगढ़	12 अलीगढ़	5	250000
	13 एटा	3	150000
	14 कांशीराम नगर	3	150000
	15 महामायानगर	4	200000
5 बरेली	16 बरेली	6	300000
	17 बदॉयू	6	300000
	18 शाहजहांपुर	4	200000
	19 पीलीभीत	3	150000
6 मुरादाबाद	20 मुरादाबाद	6	300000
	21 रामपुर	6	300000
	22 बिजनौर	5	250000
	23 ज्योतिबाफुलेनगर	3	150000
7 कानपुर	24 कानपुर नगर	3	150000
	25 कानपुर देहात	5	250000
	26 इटावा	5	250000
	27 फर्रूखाबाद	3	150000
	28 कन्नौज	3	150000
	29 औरैया	2	100000
8 इलाहाबाद	30 इलाहाबाद	8	400000
	31 फतेहपुर	3	150000
	32 प्रतापगढ़	5	250000
	33 कौशाम्बी	3	150000
9 झॉसी	34 झॉसी	5	250000
	35 ललितपुर	3	150000
	36 जालौन	5	250000
10 चित्रकूटधाम	37 हमीरपुर	4	200000
	38 महोबा	3	150000
	39 बॉदा	4	200000

सख्या – 4452/1–10–2009–12(34)/2003
दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
	40 चित्रकूट	2	100000
11 वाराणसी	41 वाराणसी	2	100000
	42 जौनपुर	6	300000
	43 गाजीपुर	5	250000
	44 चंदौली	3	150000
12 मिर्जापुर	45 मिर्जापुर	4	200000
	46 सोनभद्र	3	150000
	47 संतरविदास नगर	3	150000
13 आजमगढ़	48 आजमगढ़	7	350000
	49 मऊ	4	200000
	50 बलिया	6	300000
14 गोरखपुर	51 गोरखपुर	7	350000
	52 महाराजगंज	4	200000
	53 देवरिया	5	250000
	54 कुशी नगर	4	200000
15 बस्ती	55 बस्ती	4	200000
	56 सिद्धार्थ नगर	5	250000
	57 सन्तकबीर नगर	3	150000
16 लखनऊ	58 लखनऊ	4	200000
	59 उन्नाव	5	250000
	60 रायबरेली	7	350000
	61 सीतापुर	6	300000
	62 हरदोई	5	250000
	63 खीरी	6	300000
17 देवीपाटन	64 गोण्डा	4	200000
	65 बहराइच	4	200000
	66 बलरामपुर	3	150000
	67 श्रावास्ती	2	100000
18 फैजाबाद	68 फैजाबाद	5	250000
	69 सुल्तानपुर	7	350000
	70 बाराबंकी	6	300000
	71 अम्बेडकर नगर	5	250000
	कुल योग	**312**	**15600000**

(रुपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)

(एस0एन0 शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव